



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 190 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 190

विषय / Sub : स्टैटिक डिस्चार्जर, पार्ट सं. एसी एसडी 001 (1403)/
Static Discharger, Part No.: AC SD 001 (1403)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मेटल क्लोथ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट सं.5/7, हुसैनाबाद, सं.5, लैंगफोर्ड रोड लैंगफोर्ड टाउन, बेंगलूरु – 560 025, द्वारा विकसित और उत्पादित "स्टैटिक डिस्चार्जर "पार्ट सं. एसी एसडी 001(1403) को प्रमाणपत्र सं.: ऐरो (आरडी-125)/140/12, दिनांक 16 नवंबर 1976 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 190 जारी किया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-190-10आर, दिनांक 05 मार्च 2014 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

This is to state that the "Static Discharger", bearing Part No.: AC SD 001(1403) developed and manufactured by M/s Metal Cloth Products Private Limited, Flat No. 5/7, Hussainabad, No.5, Langford Road, Langford Town, Bengaluru - 560 025, was issued with Type Approval Number: 190 vide Certificate Ref. No: Aero(RD-125)/140/12, dated: 16th November 1976. This Approval was subsequently renewed vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-190-10R, dated: 05th March 2014 with validity up to 31st December 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर्स), द्वारा मेसर्स एचएएल, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023, unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), C/o M/s. HAL, Helicopter Division, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. ऐरो (आरडी-125)/140/12, दिनांक 16 नवंबर 1976 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: Aero(RD-125)/140/12, dated: 16th November 1976 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037 is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remains unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-190/11R

दिनांक / Date : 02 January 2019

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

K.D. J.R.

P. Jayapal

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)